विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 11 रायपुर, दिनांक 16 APR 2026

प्रति,

1. मेसर्स अमन फर्शी उद्योग,
प्रो. श्री ओमप्रकाश साहू, आ. श्री चेतन लालं,
भोरिंग, जिला महासमुंद (छ.ग.) 493445
मो.नं. 97546–78148

2. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
छ0स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., महासमुन्द (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 03 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त, छ0स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., महासमुंद (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– बी.पी.क्रमांक 1008629723 में पटे हुए आडिट/लेखा परीक्षण आडिट वर्ष 2023–24 के राशि को पुनः जोड़कर विद्युत बिल में भेजने के निराकरण बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक/03/रायपुर(ग्रा.)/2026

मेसर्स अमन फर्शी उद्योग, ...आवेदक
प्रो. श्री ओमप्रकाश साहू, आ. श्री चेतन लाल,
भोरिंग, जिला महासमुंद (छ.ग.) 493445
मो.नं. 97546–78148

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., महासमुंद (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 16/04/2026 को घोषित)

1. आवेदक मेसर्स अमन फर्शी उद्योग द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 16.03.2026 यह है कि "मैं ओमप्रकाश साहू वर्तमान में अमन फर्शी उद्योग भोरिंग, महासमुन्द (छ.ग.) का संचालक है । मेरे द्वारा 23650 को विषयांतर्गत राशि को 11 अप्रैल 2025 में C.S.E.B. तुमगांव में पटा दिया गया है । परन्तु नवम्बर 2025 से पिछली बकाया राशि 8452.11 तथा अतिरिक्त राशि 15895.31 को जोड़कर बिजली बिल लगातार भेजा जा रहा है । जबकि 23650 को घटाकर बिजली बिल भेजा जाना चाहिए ।

उक्त बाबत् मैंने J.E. आफिस तुमगांव तथा श्रीमान कार्यपालन अभियंता महासमुन्द को 13.02.2026 को पत्र लिखकर सुधार की मांग की है । परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, नवम्बर माह 2025 से मार्च 2026 तक उक्त राशि सरचार्ज व आपके विभाग के अन्य प्रभार लगाकर मुझे आर्थिक व मानसिंक परेशानी हो रही है ।

अतः आपसे निवेदन है कि लगे हुये सभी सरचार्ज व अतिरिक्त प्रभार की राशि को घटाकर बिजली बिल भेजे तथा मुझे उचित न्याय प्रदान करें ।"

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

2. . यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., महासमुन्द ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 160 दिनांक 15.04.2026 को सूचित किया है कि :–

यह कि ग्राम भोरिंग स्थिति अमन फर्शी उद्योग की विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक 1008629723 द्वारा प्रदाय किया गया है । उक्त कनेक्शन में ऑडिट वर्ष 2023–24 के विरूद्ध राशि 23650.00 रू0 दिनांक 16.04.2025 को जोड़ा गया था । जिसे उपभोक्ता द्वारा दिनांक 16.04.2025 को ही भुगतान कर दिया गया था । जिसके पश्चात् दिनांक 20.11.2025 को त्रुटिवश उक्त राशि 23650.00 रू0 पुनः सी.सी.बी. के माध्यम से जोड़ दिया गया था, जिसके बाद दिनांक 27.01.2026 को दर्ज राशि 15122.00 रू0 त्रुटिवश रिसेट क्लीयरिंग प्रोग्राम चलाने के दौरान अतिरिक्त राशि देयक में ऑडिट के रूप में पुनः जुड़ गया ।

अतिरिक्त जोड़ी गई राशि को दिनांक 20.03.2026 को डाक्यूमेंट नं. 20587596968 के माध्यम से विलोपित कर दी गई है, अतः जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 25.03.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि ग्राम भोरिंग, महासमुंद स्थित आवेदक के परिसर में अमन फर्शी उद्योग प्रो. ओमप्रकाश साहू के नाम पर 25 अश्वशक्ति भार का औद्योगिक श्रेणी का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1008629723 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है ।

4. यह कि आवेदक के अनुसार कनिष्ठ यंत्री तुमगांव द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से आडिट दल द्वारा निकाली गयी राशि 23646.00 का मांग पत्र भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था । उत्तरवादी द्वारा प्रेषित आडिट राशि के मांगपत्र की संपूर्ण राशि का भुगतान उसके द्वारा दिनांक 11.04.2025 को ही तुमगांव वितरण केंद्र में कर दिया गया था । आवेदक के अनुसार माह नवंबर 2025 के उसके देयक में उत्तरवादी द्वारा पूर्व अवशेष राशि रू. 8452.11 तथा अतिरिक्त राशि रू. 15895.31 जोड़कर पुनः प्रेषित कर दिया गया । उत्तरवादी की इस कार्यवाही से उसे आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित होना पड़ा । आडिट राशि को पुनः जोड़कर प्रेषित देयक में आवश्यक सुधार कर वास्तविक देयक राशि का देयक प्रेषित किए जाने की मांग के संबंध में आवेदक द्वारा उत्तरवादी के तुमगावं एवं महासमुंद

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी । माह दिसंबर 2025 के देयक का भुगतान उसके द्वारा आडिट राशि को पृथक करते हुए किया गया था लेकिन देयक में सुधार नहीं होने के कारण माह जनवरी के देयक में उक्त राशि फिर से जुड़कर आ गयी है । आवेदक के अनुसार पूर्व में भुगतान की गयी आडिट राशि को देयक में पुनः जोड़ने की उत्तरवादी की कार्यवाही, कार्यों के प्रति उसकी लापरवाही एवं उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाती है ।

5. यह कि स्वयं के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध उत्तरवादी के आडिट दल द्वारा निकाली गयी राशि का एक बार भुगतान कर दिए जाने के बाद भी पुनः उक्त राशि को देयक में जोड़कर प्रेषित किए जाने एवं इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद भी देयक में यथोचित सुधार न किए जाने की उत्तरवादी की कायवाही से असंतुष्ट होकर एवं अविलंब अपने देयक में जोडी गयी अतिरिक्त राशि एवं अधिभार को विलोपित करते हुए वास्तविक राशि का देयक प्रेषित किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि फोरम द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 16.03.2026 में उत्तरवादी को दिनांक 23.03.2026 तक प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन सुनवाई दिनांक तक उत्तरवादी द्वारा जवाबदावा प्रेषित नहीं किया गया ।

7. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदक के देयक में पूर्व में भुगतान की गयी आडिट राशि को दोबारा जोडा जाना एवं इस संबंध में फोरम के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना उत्तवादी की, कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है ।

ब. क्या आवेदक के देयक में सुधार न करते हुए उत्तरवादी द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ।

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

8. यह कि दिनांक 25.03.2026 को वीडियो काल के माध्यम से सुनवाई के दौरान उत्तरवादी द्वारा आवेदक की शिकायत के संबंध में फोरम को यह बताया गया कि आवेदक का यह कथन सही है कि उसके विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध आडिट दल द्वारा निकाली गयी संपूर्ण राशि का भुगतान उसके द्वारा दिनांक 11.04.2025 को

रायपुर (ग्रामीण)

कर दिया गया था । उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि माह नवंबर 2025 में उच्च कार्यालय के निर्देश पर, आडिट दल द्वारा निकाली गयी राशि को उपभोक्ताओं के देयकों में जोडने की कार्यवाही के दौरान त्रुटिवश आवेदक के देयक में, उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गयी आडिट राशि को पुनः जोड़ दिया गया था । आवेदक द्वारा इस संबंध में की गयी शिकायत एवं विभागीय त्रुटि के संज्ञान में आने के बाद आवेदक के देयक में पुनः जोडी गयी आडिट राशि को उसके देयक से अलग करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

यद्यपि फोरम यह मानता है कि उत्तरवादी के मैदानी कार्यालयों में, आडिट दल द्वारा उपभोक्ताओं के कनेक्शन के विरूद्ध निकाली गयी राशि एवं उस राशि का उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले भुगतान से संबंधित पंजी का संधारण आवश्यक रूप से किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा पूर्व में भुगतान की गयी आडिट राशि को उत्तरवादी द्वारा आवेदक के देयक में पुनः जोडा जाना, उसके द्वारा आडिट पंजी का संधारण सही प्रकार से नहीं किए जाने को दर्शाता है ।

9. यह कि आवेदक को त्रुटिपूर्ण देयक जारी होने के बाद लंबी अवधि तक उसके देयक में सुधार नहीं होने के संबंध में पूछे जाने पर उत्तरवादी द्वारा फोरम को यह आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर आवेदक के देयक में आवश्यक सुधार कर दिया जाएगा । उत्तरवादी द्वारा दिए गए इस आश्वासन के संबंध में आवेदक को मोबाईल के माध्यम से सूचित किए जाने पर आवेदक द्वारा उत्तरवादी की इस कार्यवाही से संतुष्ट होना बताया गया ।

10. यह कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक" के अनुसार –

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा
8. उपभोक्ता की शिकायत	
(ग) बिलिंग संबंधी शिकायत	ए संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 07 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस

आवेदक की अपने देयक में सुधार किए जाने के निवेदन के बाद उत्तरवादी द्वारा 15 कार्य दिवस में आवेदक के देयक में सुधार किया जाना था जो कि नहीं

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

किया गया है, अतः उत्तरवादी द्वारा इस कार्य हेतु छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन किया जाना दर्शित होता है ।

11. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया गया है कि आवेदक के देयक में त्रुटिपूर्ण तरीके से जोडी गयी आडिट राशि को आवेदक के देयक से विलोपित करने की कार्यवाही करते हुए आवेदक के देयक में सुधार कर दिया गया है ।

आवेदक द्वारा उत्तरवादी को संबोधित पत्र दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से यह स्वीकार किया गया है उसके देयक से आडिट राशि को पृथक करते हुए उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में सुधार कर दिया गया है, जिससे वह संतुष्ट है ।

12. उत्तरवादी द्वारा आवेदक के देयक में आवश्यक सुधार कर दिए जाने एवं आवेदक द्वारा उत्तरवादी की कार्यवाही से स्वयं के संतुष्ट होने का कथन किए जाने के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

13. आदेश पारित ।

14. प्रकरण निराकृत ।

15. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)